फ़र्स्ट फ़्रीडम प्रोजेक्ट

धार्मिक स्वतंत्रता को मिला बढ़ावा

डेविड एंथॅनी डेनी

हैमी मजगार / पीयू © एपी-डब्ल्यू डब्ल्यू पी

अमेरिका के न्याय विभाग ने जनता को धार्मिक स्वतंत्रता वाले कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके साथ ही धार्मिक, नागरिक अधिकारों और सामुदायिक मामलों के अगुआ व्यक्तियों से नाता जोड़ा जा रहा है जिससे कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में किसी भी चिंता को विभाग के ध्यान में लाया जाए।

यह प्रयास है फ़र्स्ट फ़्रीडम प्रोजेक्ट का और इसमें अहम भूमिका निभाई है न्याय विभाग के नागरिक अधिकार खंड में धार्मिक भेदभाव के मामलों से संबद्ध विशेष अधिवक्ता एरिक ट्रीनी ने। ट्रीनी कहते हैं कि वैसे तो न्याय विभाग का ज़िम्मा रहा है कि नस्ल, लिंग, धर्म और मूल राष्ट्रीयता के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव या घृणा आधारित अपराध न हों और उनके अधिकारों का बचाव हो। ''लेकिन अब तक धार्मिक भेदभाव के मामलों की पहचान या उन्हें ध्यान में लाने के लिए कोई विशेष ध्यान या प्रयास नहीं किया गया था।''

ट्रीनी कहते हैं कि अमेरिका के समान रोज़गार अवसर आयोग के आंकड़ों के मुताबिक धार्मिक भेदभाव की शिकायतों की संख्या 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों से वर्ष 2005 तक 69 फ़ीसदी बढ़ी है। लेकिन इसी अवधि में नस्ल और लिंग आधारित भेदभाव के मामले या तो स्थिर रहे या उनमें कमी आई है।

वह कहते हैं कि 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों से समस्या और बढ़ी है। 11 सितंबर के हमलों के बाद हमने मुस्लिमों और मुस्लिमों जैसे दिखने वाले लोगों के खिलाफ घृणा आधारित अपराधों में बढ़ोतरी देखी है। रोज़गार के मामलों में मुस्लिमों के साथ भेदभाव की शिकायतें भी दो गुनी हुई हैं।

ट्रीनी के अनुसार अमेरिका के अटार्नी जनरल अल्बर्टो गोंजेल्ज़ की मुस्लिम अमेरिकी नागरिकों से मुलाकात में फ़र्स्ट फ़्रीडम प्रोजेक्ट का विचार आगे बढ़ा। मुस्लिम समूहों ने जनवरी में गोंजेल्ज़ को बताया कि वे इस मामले में न्याय विभाग के रिकॉर्ड से खुश हैं। ''लेकिन वे चाहते थे कि हम इस बारे में आमतौर पर ज़्यादा प्रचार करें जिससे कि आम व्यक्ति इस बारे में शिक्षित हो सके और धार्मिक स्वतंत्रता की महत्ता तथा सार्वभौमिक प्रकृति और मुस्लिम अमेरिकियों समेत सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया जा सके।''

ट्रीनी के अनुसार फ़र्स्ट फ़्रीडम प्रोजेक्ट की पहल में यही सब कुछ है। ''यह किसी एक व्यक्ति के धर्म की रक्षा का मसला नहीं है। यह सिर्फ मुस्लिमों के संरक्षण का मसला नहीं है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के मूल मानवाधिकार के बचाव की बात है।''

गोंजेल्ज़ ने फ़र्स्ट फ़्रीडम प्रोजेक्ट की घोषणा 20 फरवरी को सदर्न बैप्टिस्ट कॉन्वेंशन में एक भाषण के दौरान की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में घोषणा से पहले कहा , ''धार्मिक स्वतंत्रता हमारी अहम स्वतंत्रताओं में से एक है जिसके लिए हमने बहुत बलिदान दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति आदर से ज़्यादा कोई चीज एक राष्ट्र के रूप में हमें परिभाषित नहीं कर सकती।''

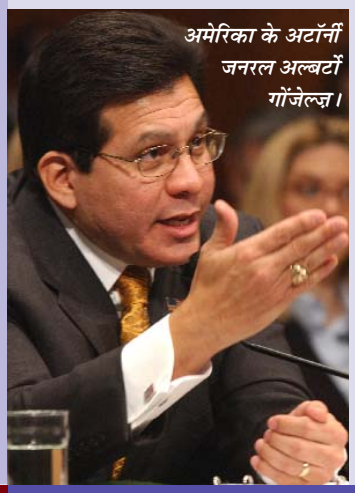

अमेरिका के अटॉर्नी जनरल अल्बर्टो गोंजेल्ज़।

डेनिस कुक्क © ए.पी.-डब्ल्यू डब्ल्यू पी.

गोंजेल्ज़ ने कहा, ''हमारे महान देश की स्थापना इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हुई। और हममें से आज भी बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि यह देश इसी कारण फलफूल रहा है।''

अटार्नी जनरल ने कहा कि फ़र्स्ट फ़्रीडम प्रोजेक्ट के तहत धार्मिक स्वतंत्रता कार्यदल गठित होगा जो नीतियों ओर मामलों की समीक्षा करेगा। जन शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण गोष्ठियों, वेबसाइट और प्रचार सामग्री के ज़रिये बताया जाएगा कि धार्मिक भेदभाव की शिकायतें किस तरह करें।

गोंजेल्ज़ ने मस्कोजी, ओक्लाहामा में छठी कक्षा में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़की नशाला हीर्न के बारे में बताया। उसे स्कूल में कहा गया कि वह अपने सिर पर स्कार्फ़ नहीं पहन सकती, जबकि अन्य विद्यार्थियों को जिनके लिए धार्मिक आधार पर ऐसा करना ज़रूरी नहीं था, अपने सिर पर कुछ पहनने की अनुमति थी। गोंजेल्ज़ के अनुसार हीर्न को स्कार्फ़ पहनने के कारण स्कूल से दो बार निलंबित किया गया।

वह कहते हैं, ''एक युवा विद्यार्थी के लिए यह एक मुश्किल स्थिति है जब उसे अपने स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रशासन का सामना करना पड़े। मैं नहीं जानता कि छठी कक्षा में पढ़ने के दौरान इस तरह की स्थिति में मेरा क्या रवैया होता। लेकिन नशाला दृढ़ रही और न्याय विभाग ने उसका साथ दिया।

वह कहते हैं, ''यदि आप नशाला जैसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें धार्मिक असहिष्णुता का शिकार होना पड़ रहा है और जो समझते हैं कि वे इस लड़ाई में अकेले हैं तो आप उन्हें मुझसे आकर बात करने के लिए कहें।''

__डेविड एंथनी डेनी__ यूएसइनफो के कार्यालय लेखक हैं।

फ़र्स्ट फ़्रीडम का अर्थ

अमेरिकी धार्मिक आज़ादी को फ़र्स्ट फ़्रीडम कहते हैं क्योंकि इसकी संविधान के प्रथम संशोधन के तहत रक्षा की गई है। इसमें कहा गया है, ''कांग्रेस किसी धर्म से संबंधित प्रतिष्ठान के सम्मान या इसके स्वतंत्र रूप से पालन में बाधा डालने वाला या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस को बाधित करने वाला, या लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार और अपनी शिकायतों के बारे में सरकार से आग्रह करने के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाएगी।'' अमेरिकी संविधान को अंगीकार करने के समय हुई चर्चाओं के दौरान इसके आलोचकों ने कहा कि संविधान का प्रस्तावित प्रारूप केंद्र सरकार को तानाशाह बनाने की ओर ले जाएगा। उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर नागरिकों के अधिकारों को बचाने वाली 'अधिकारों की सूची' की मांग की। संविधान का अनुमोदन करने वाले कई राज्य सम्मेलनों में इस तरह के संशोधन का आग्रह किया गया। अन्य ने यह समझते हुए संविधान का अनुमोदन कर दिया कि संशोधन लाए जाएंगे। 1789 में पहले दस संविधान संशोधन हुए जिन्हें बिल ऑफ़ राइट्स कहा जाता है। इनका अनुमोदन राज्यों के तीन-चौथाई सदनों ने किया।